

दिनांक 12-11-16

प्रकरण आज लोक अदालत में पेश।

रान्य द्वारा एडीपीओ उपयु।

आरोपीगण सहित श्री एम0पी0एस0 राजा अविक्ता उपस्थित।

फरियादी मोहम्मद सरीफ, अफसाना, पिळी खा और अवयस्क अमीन की ओर से संविदा करने हेतु सक्षम उसके पिता मोहम्मद सरीफ ने उपस्थित होकर राजीनामा करना व्यक्त किया और राजीनामा क अनुमति चाही उमय्यस ने निर्धारित डॉकेंट हस्ताक्षरित पर पेश किया कि उनमें समझौता हो चुका है और वे प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं।

प्रकरण का अवलोकन किया गया जिससे दर्शित है कि आरोपीगण के विरुद्ध भादस की घारा 294, 323/34 एवं 506 भाग-2, 325/34 भादवि के अंतर्गत आरोप बनना प्रतीत होता है जो न्यायालय की अनुमति उपरांत राजीनामा योग्य है। आवेदकगण ने आरोपीगण से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। राजीनामा पक्षकारों के हित में है एवं लोकनीति के अनुरूप है। आवेदकगण ने राजीनामा करने के लिये सक्षम हैं। अतः उमय्यसों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार करते हुए उन्हें राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

आरोपीगण व फरियादी/आवेदकगण द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित राजीनामा पेश किया गया है। अतः राजीनामा के आधार पर आरोपीगण को भादस की घारा 294, 323/34, 325/34, 506 भाग-2 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

प्रकरण में जप्त लाठी संख्या तीन नष्ट की जावे।

प्रकरण का परिणाम एजी में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

जोसेफा रानी,
पठितसैन अधिकारी,
लोक अदालत पीठ कमांक -22
सदस्य

श्री प्रमोद स्वामी एड गोहद,

श्री सतेन्द्रसिंह तामर एड गोहद,

इंदिरा रेव

इमर रेव

मुने रेव

D.A. Vithal

मुने रेव

मुने रेव

मुने रेव

मुने रेव

मुने रेव

मुने रेव

मुने रेव

मुने रेव

मुने रेव